बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/प्राक्क01–1205/2024– 20 पटना – 15, दिनांक :– 2/1/25

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– शेखपुरा जिला के पूर्व से निर्मित विद्युत चालित 17 अदद वार्ड स्तरीय मिनी जलापूर्ति योजना (03 अदद मूल रूप से सौर उर्जा आधारित, जो वर्त्तमान में विद्युत उर्जा आधारित योजना में परिवर्तित), जिसके निर्माण के पश्चात् 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु कुल–125.587 लाख रू0 (एक करोड़ पच्चीस लाख अंठावन हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश – बिहार राज्य के शेखपुरा जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा में **विद्युत चालित 17 अदद वार्ड स्तरीय मिनी जलापूर्ति योजना (03 अदद मूल रूप से सौर उर्जा आधारित, जो वर्त्तमान में विद्युत उर्जा आधारित योजना में परिवर्तित)** का निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) हेतु कुल–**125.587 लाख रू0 (एक करोड़ पच्चीस लाख अंठावन हजार सात सौ रूपये)** मात्र की राशि पर योजना की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना में 100% राशि राज्य योजना मद से वहन किया जाना है।

2. बिहार राज्य के शेखपुरा जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा में **विद्युत चालित 17 अदद वार्ड स्तरीय मिनी जलापूर्ति योजना (03 अदद मूल रूप से सौर उर्जा आधारित, जो वर्त्तमान में विद्युत उर्जा आधारित योजना में परिवर्तित)** का निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, में पेयजल की सतत् व्यवस्था बनाये रखने हेतु अगले पाँच (05) वर्ष के परिचालन एवं रख–रखाव की आवश्यकता है।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित योजनाओं के परिचालन एवं रख–रखाव से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल–**125.587 लाख रू0 (एक करोड़ पच्चीस लाख अंठावन हजार सात सौ रूपये)** मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत है। इस प्राक्कलित राशि में योजनाओं के पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) की राशि शामिल है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।

4. उपर्युक्त लक्ष्य के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2029–30 तक परिचालन एवं रख–रखाव किया जायेगा। वर्षवार वित्तीय विवरणी निम्न प्रकार हैः–

2024–25 (राशि लाख में)	2025–26 (राशि लाख में)	2026–27 (राशि लाख में)	2027–28 (राशि लाख में)	2028–29 (राशि लाख में)	2029–30 (राशि लाख में)	कुल (राशि लाख में)
2 माह	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	10 माह	
4.18624	25.1174	25.1174	25.1174	25.1174	20.93116	125.5870

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि का बजटीय उपबंध है।

6. जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मति का कार्य विभागीय संकल्प संख्या 543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

7. मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं का परिचालन एवं रख–रखाव लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा किया जायेगा।

8. इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाले व्यय का बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष 01–जलपूर्ति, लघु शीर्ष 102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–36–2215011020107 विषय शीर्ष–0107–27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति मतदेय शीर्ष अंतर्गत भारितव्य होगा।

9\. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

10\. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

11\. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

12\. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

13\. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

14\. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

15\. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि0, दिनांक–31–05–17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

16\. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

17\. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

18\. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

19\. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है।

20\. वर्ष 2024–25 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

21\. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 07/01/25

(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक – 6/प्राक्क01–1205/2024– 20 पटना – 15 ,दिनांक :– 2/1/25

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/ जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2\. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/ प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक)/ विशेष पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता (मो02)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (अने0)/ कार्यपालक अभियंता(मो01)/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 एवं 3/ प्रशाखा–6/ 12/ कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3\. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4\. कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

5\. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 07/01/25

(राजेश प्रसाद सिन्हा)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)